

FROM No.III

फॉर्म अहकाम

(नियम 26)

अदालत सहायक कलेक्टर (500) वायतु

दाधुराम वगरो बनाम जैहराम वगरो

किस्म मुकदमा 270 माजीब नं. 30/22 सन. 2022

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13/01/2022	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री <u>विप्राधराम सिमिग</u></p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>111, 128</u></p> <p>राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन्न तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>24/02/2022</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">म सहायक कलेक्टर (SDO) वायतु</p> <p><u>24/02/2022</u></p> <p>प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड एडी निजगणों गये जिनकी एडी पुनः प्राप्त नहीं हुई है। विप्रार्थी संख्या- 72 की मांग के वकील श्री ज्ये. नारायण जाधव द्वारा प्रोडर रेकॉर्ड ली गई। तैतः पत्रावली विप्रार्थी संख्या- 72 के पत्रावली नाम व जवाब तथा वीच की एडी के अन्तर्गत में दिनांक- 21/03/2022 को पेश है।</p> <p style="text-align: center;">उपस्थित अधिकारी वायतु जिला-वाडमेर</p>	<p>24/02/2022</p> <p>Undertaken विप्रार्थीगणों 72 24/2/22</p>

तारीख हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

21/03/2022


जार्जी व विजयगी संख्या - 72 के वहील
 उपस्थित। विजयगी संख्या - 70 से 72 की कोर्ट
 से वहील की जेनराम जाधव द्वारा कडागत
 नामा मय जवाब पैरा विभा गण्य जिनमे वास्तव
 पत्रावली विभा गण्य। वीष विजयगी संख्या के नोटिस
 मिजवापे डप 30/1/22 के मधु 33 समुह लागू
 हो चुका है जिनकी कोर्ट के कोर्ट उपस्थित
 नहीं हुआ। न्यायालय समुह लीन कार प्रवाज लगाई
 गई, प्रिलिम प्रवाज 5:45 pm पर लगाई गई
 विजयगी संख्या - 1 से 69 व 73, 74 स्वयं व
 उनकी कोर्ट के कोर्ट प्रिपारेशन उपस्थित नहीं हुआ
 निहाय उनसे विरुद्ध एडवोकेट शर्मादी ममल के
 जाई जाती है कि: वास्तव कदम पत्रावली दिनांक
 05/05/2022 को पैरा है।

उपस्थित न्यायाधीश मयतु
 जिला-वाडमेर

अज अदालत उपखण्ड
 तारीख हुक्म
 5/5/2022



अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बायतु (बाडमेर) मुकाम बायतु

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	न व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
5/5/2022	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थी संख्या 70 से 72 उपस्थित, शेष बावजुद तामिल अनुपस्थित/ प्रार्थी अधिवक्ता व विप्रार्थी संख्या 70 से 72 के अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढा सेढा आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावें।</p> <p>अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ: भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;"> उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला-बाडमेर</p>	

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक : वाद / 2022 / 637

प्रार्थी

बनाम

दिनांक : 05/05/2022

विप्रार्थीगण

1. आसुराम पुत्र आईदानराम वगैरा 24,
जाति जाट, निवासी लेगो की ढाणी,
पटवार मण्डल सोहड़ा,
तहसील गिड़ा (बाडमेर)

1. जेठाराम पुत्र कलाराम वगैरा 74,
जाति जाट, निवासी लेगो की ढाणी,
पटवार मण्डल सोहड़ा,
तहसील गिड़ा (बाडमेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या - 30 / 2022

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा - लेगो की ढाणी, पटवार मण्डल - सोहड़ा, तहसील - गिड़ा, जिला- बाडमेर के खेत खसरा नं. 124/79, 93 रकबा क्रमशः 47.6476, 45.1628 बीघा भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



क्रमांक : वाद / 2022 /

638 + 0642

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा
2. पटवारी हल्का सोहड़ा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री आसुराम पुत्र आईदानराम वगैरा 24,
4. विप्रार्थी श्री जेठाराम पुत्र कलाराम वगैरा 74,
5. पुलिस थानाधिकारी गिड़ा।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक : 05/05/2022

सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी बायतु
(SDO) बायतु